राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम भागचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।	
11/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 84/1/1 जिसके हाल खसरा नम्बर 495, 496, 497, 498, 499, 508, 535, 542, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 564, 565 भूमि वाके ग्राम भुरटिया कलां तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि है, जिसमें से वादी को 8 बीघा भूमि आवंटित शुद्धा भूमि है। वादग्रस्त आराजी वादी को दिनांक 04.06.1972 को पंचायत समिति चाकसूं मुख्यालय में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटित हुई थी, जिस संबंध में आवंटन आदेश अलाटमेन्ट कमेटी द्वारा चाकसू तहसील में स्थित राजस्व ग्रामों में सिवायचक भूमि में आवंटित किया गया था, जिसमें वादी को भी ग्राम भुरटिया कला में वादग्रस्त भूमि में से 8 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर वादी काबिज काश्त है और लगातार उसका हर प्रकार से उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी को कानून की जानकारी नही थी, जिस कारण उन्हें राजस्व रिकार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नही थी तथा वे प्रारम्भ से ही उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे। इस प्रकार वादी का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त है। वादी को आवंटित भूमि में वादी का हक व हिस्सा है, जिस कारण वादी अपनी उक्त आवंटित शुद्धा भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 10.06.2013 को जानकारी चाही तो राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायलाय से आदेश लाने पर ही उक्त भूमि वादी के नाम हो सकेगी, जिस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात तहसीलदार चाकसू की और से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब वाद पेश कर जवाब वाद को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2016 पारित करते हुये वादी का डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सरकार बनाम भागचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	37/2017	

समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि करीबन 6 माह की देरी से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं लम्बी अवधि की डिले कन्डोन करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में सरसरी तौर पर तथ्य अंकित कर डिले कन्डोन का अनुतोष चाहा गया है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में दिन-प्रतिदिन की देरी का स्पष्ट अंकन किया जाना आवश्यक था | ऐसी स्थिति में विधि अनुसार डिले कन्डोन का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी का वादी/रेस्पो. को पूर्व में हो जाना तथा उस पर उनका काबिज होना तथा प्रशनगत आराजी का आवंटित एवं कब्जे काश्त की भूमि होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी न्यायिक नजीरे 2016(1) RRT 559, 2016(1) RRT 340, 2016(1) RRT 82 में प्रतिपादित सिद्धांत प्रकरण में बखूबी चस्पा होते है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13/06/2016 को यथावत रखा जाता है एवं अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |